

एनबीएसए को भेजा जाने वाला शिकायती फार्म (द्वितीय स्तर) प्रोग्रामिंग सामग्री

शिकायत कैसे करें

इस फार्म के दो खंड हैं :

- अगर आपने संबंधित प्रसारक (ब्राडकास्टर) को शिकायत भेज दिया हो तो कृपया **खंड 1** को पूरा करें, भले ही आपको प्रसारक से कोई जवाब नहीं मिला हो या आप प्रसारक के फैसले से संतुष्ट नहीं हो।
- **खंड 2** में आपको अपनी शिकायत/शिकायतों के विवरण देने हैं। इनमें एनबीएसए के नियमन/दिशानिर्देश की उस धारा का भी जिक्र करें जिसका प्रसारक ने आपकी राय के अनुसार उल्लंघन किया है।

आप इस फार्म को **अवश्य** पूरा भरें। अगर जरूरी लगे तो आपके तथा संबंधित प्रसारक के बीच हुए सभी पत्राचार की प्रतियां संलग्न करें।

एनबीएसए ने शिकायत निवारण प्रक्रिया करने के लिए दर्शकों के लिए एक गाइड तैयार किया है। इसमें प्रसारकों और एनबीएसए के द्वारा आपकी शिकायत (शिकायतों) का निवारण करने का विवरण दिया गया है। इसलिए कोई शिकायत करने या इस फार्म को पूरा करने से पहले आपको इस दस्तावेज को पढ़ने की सलाह दी जाती है। यह दस्तावेज एनबीए की वेबसाइट www.nbanewdelhi.com पर उपलब्ध है।

यदि आपको अपनी शिकायत करने या इस फार्म को भरने के लिए किसी मदद या सलाह की आवश्यकता हो, तो आप कृपया इस फार्म में उपलब्ध कराये गये टेलीफोन नंबर या ई-मेल authority@nbanewdelhi.com पर एनबीएसए से संपर्क करें।

खंड 1 – शिकायत प्रक्रिया (द्वितीय स्तर)

यदि आपने प्रसारक से शिकायत की है और आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं या आपको कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है तो इस खंड को पूरा करें।

प्रसारक को आरंभिक शिकायत करने की तिथि
(दिन / महीना / साल) :

क्या आपने समाचार प्रसारण मानक नियमन में शामिल समय सीमा के भीतर प्रसारक से प्रतिक्रिया प्राप्त की थी?

हाँ	नहीं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

यदि हाँ, कृपया अपनी शिकायत, प्रसारक से प्राप्त उत्तर और अन्य पत्राचार (यदि हो तो) इस फार्म के साथ संलग्न करें

यदि नहीं, तो आप विचार के लिए अपनी शिकायत एनबीएसए को भेज सकते हैं। कृपया अपनी शिकायत यहां संलग्न करें

या

क्या आप प्रसारक से मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं?

हाँ	नहीं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

यदि हाँ, तो आप प्रसारक की प्रतिक्रिया से संतुष्ट क्यों नहीं हैं, इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं के सारांश को संक्षेप में दर्ज करते हुए कृपया इस खंड को पूरा करें।

एनबीएसए को शिकायत करने से मिली प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होने का कारण : आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रसारक की प्रतिक्रिया असंतोषजक है, कृपया इसके कारणों की रूपरेखा संक्षेप में तैयार करें।

खंड 2 – आपकी शिकायत का विवरण

एनबीएसए के द्वारा शिकायतों पर विचार नीति संहिता और प्रसारण मानकों और दिशानिर्देश के तहत किया जाता है, जो एनबीए की वेबसाइट www.nbanewdelhi.com पर उपलब्ध है।

शिकायत का विवरण

विवरण पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए

प्रसारक का नाम चैनल के नाम के	
कार्यक्रम का शीर्षक / प्रसारण सामग्री*	
कार्यक्रम की तारीख : दिन / महीना / वर्ष*	
प्रसारण का समय*	
क्या प्रसारण दोहराया गया है। यदि हाँ, तो जानकारी दें (तारीख / समय)	

* से चिन्हित किए गए क्षेत्र को भरना अनिवार्य है

यदि आप एक वर्ग का चयन करते हैं जो नीति संहिता/दिशानिर्देश से जुड़ा हुआ है, तो आपको यह पहचान करनी होगी कि उस पर नीति संहिता/दिशानिर्देश की कौन सी धारा लागू होती है।

क्या शिकायत निम्न का उल्लंघन है :	लागू होने वाली संहिता की श्रेणी एवं धारा

नोट : आपको नीति संहिता/दिशानिर्देशों की प्रासंगिक धारा/धाराओं का जिक्र **अवश्य** करना चाहिए।

एनबीएसए के द्वारा निर्णय किये गये सभी शिकायत, शिकायतकर्ता के नाम सहित, एनबीएसए के द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराये जा सकते हैं। हालांकि इस घटना में शिकायतकर्ता का शिकायत करने के लिए गोपनीयता से संबंधित मुद्दों से संबंधित चिंताएं वैध होने पर, एनबीएसए शिकायतकर्ता के द्वारा छापने / गोपनीयता के लिए अनुरोध किये जाने पर विचार करते हुए अपने पूर्ण विवेक से काम ले सकता है।

कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत संपर्क का विवरण सिर्फ एनबीएसए के उपयोग के लिए है और किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

क्या शिकायत किया गया मामला किसी अदालत या ट्रिब्यूनल या वैधानिक प्राधिकरण में कार्यवाही का विषय है

*अगर हां, तो कृपया ब्योरा दें

हाँ	नहीं

अपने व्यक्तिगत संपर्क का विवरण प्रदान करें। ये केवल एनबीएसए के उपयोग के लिए है।	
सम्पर्क करने का विवरण :	कृपया इन विवरणों को पूरा करें
पहला नाम *	
उपनाम*	
पिन कोड के साथ पूरा पता*	
फोन नंबर	
मोबाइल नंबर*	
ईमेल*	

नियमन 8.4 के रूप में की जाने वाली घोषणा

शिकायत में कहे गये तथ्य सच हैं और मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मैं / हमने एनबीएसए के सामने सभी प्रासंगिक तथ्यों को रखा है और किसी भी तथ्यों को छुपाया नहीं है।

मैं / हम पुष्टि करते हैं कि एनबीएसए के सामने शिकायत करने से पहले शिकायत किये गये विषय के संदर्भ में कोई भी कार्यवाही किसी अदालत या अन्य ट्रिब्यूनल या सांविधिक प्राधिकरण में लंबित नहीं है।

मैं / हम एनबीएसए को सूचित करूंगा / करेंगे यदि एनबीएसए के सामने जांच के लंबित रहने के दौरान शिकायत में आरोपित विषय किसी अदालत या अन्य ट्रिब्यूनल या वैधानिक प्राधिकरण में किसी भी कार्यवाही की विषय वस्तु बन जाता है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे और संबंधित प्रसारक के बीच पिछले सभी पत्राचार इस फार्म के साथ संलग्न किये गए हैं।

मैंने नियमों और शर्तों को पढ़ा है और मैं इससे सहमत हूँ।

फार्म भरने का काम सम्पन्न करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके सभी विवरण सही हैं, कृपया उपरोक्त फार्म ठीक से पढ़ लें।

आप एनबीएसए को यह शिकायत फार्म पोस्ट, ई-मेल या फैक्स कर सकते हैं। प्रासंगिक सम्पर्क करने का विवरण इस प्रकार है –

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए)
मैनटेक हाउस, द्वितीय तल
सी -56 / 5 सेक्टर 62
नोएडा - 201 301

टेलीफोन / फैक्स: 0120- 4129712
ईमेल: authority@nbanewdelhi.com
वेबसाइट: www.nbanewdelhi.com

तारीख :

हस्ताक्षर :